रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1183] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2005/कार्तिक 20, 1927

No. 1183] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2005/KARTIKA 20, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 1588(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11 नवम्बर, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

(1) धारा 2 से धारा 13 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं); और

(2) धारा 95 से धारा 97 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं)।

[फ़ा. सं. 1-2/2003/एस.डी.-V]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2005

S.O. 1588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby appoints the 11th day of November, 2005, as the date on which the following sections of the said Act shall come into force, namely :—

(1) Sections 2 to 13 (both inclusive); and

(2) Sections 95 to 97 (both inclusive).

[F. No. 1-2/2003/SD-V]

S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 1589(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करती है जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलाकर गठित होगा, अर्थात् :—

धारा 3 की उप-धारा (5) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष :

डॉ. एस. नागराजन	— अध्यक्ष

धारा 3 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(i) कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(ii) उप महानिदेशक, प्रभारी फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(iii) संयुक्त सचिव, प्रभारी बीज, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(iv) बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(v) निदेशक, राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(vi) सलाहकार, श्रेणी-1, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(vii) संयुक्त सचिव, (संरक्षण), भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन
(viii) संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	— सदस्य, पदेन
(ix) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कृषक संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)
(x) जनजातीय संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)
(xi) बीज उद्योग से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)
(xii) अनुसंधान निदेशक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	— सदस्य
(xiii) कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय महिला संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)
(xiv) सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	— सदस्य
(xv) सचिव (कृषि), पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता	— सदस्य

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी और उसके सदस्यों की पदावधि (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

[फा. सं. 1-2/2003/एस.डी.-V]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2005

S.O. 1589(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby establishes the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and members, namely :—

Chairperson appointed under clause (a) of sub-section (5) of Section 3 :

Dr. S. Nagarajan	— Chairperson

IndiaCode

Members appointed or nominated under clause (b) of sub-section (5) of Section 3 :

(i) The Agriculture Commissioner, Government of India, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi. — Member, *ex officio*

(ii) The Deputy Director General incharge of Crop Sciences, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. — Member, *ex officio*

(iii) The Joint Secretary incharge of Seeds, Government of India, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi. — Member, *ex officio*

(iv) The Horticulture Commissioner, Government of India, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi. — Member, *ex officio*

(v) The Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. — Member, *ex officio*

(vi) Adviser Grade-I, Government of India, Department of Bio-Technology, New Delhi — M×mber, *ex officio*

(vii) Joint Secretary (Conservation), Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi. — Member, *ex officio*

(viii) Joint Secretary and Legal Adviser, Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice. — Member, *ex officio*

(ix) One representative from a National or State level Farmers' Organization. — (Vacant)

(x) One representative from a tribal organization. — (Vacant)

(xi) One representative from the Seed Industry. — (Vacant)

(xii) Director of Research, Punjab Agricultural University, Ludhiana. — Member

(xiii) One representative from a National or State level Women's Organization associated with Agricultural Universities. — (Vacant)

(xiv) Secretary (Agriculture), Government of Maharashtra, Mumbai. — Member

(xv) Secretary (Agriculture), Government of West Bengal, Calcutta. — Member

2. The term of the Chairperson of the Authority shall be for a period of five years or up to the age of 65 years, whichever is earlier from the date of issue of this notification and the term of office of its Members (other than the members, *ex officio*) shall be for a period of three years from the date of their appointment.

[F. No. 1-2/2003/SD-V]

S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.